

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (प्रश्ना केम्प)

प्रांक : 40 / प्र०अ०-भवन/जोग-१ / शमन/ 2015-14 दिनांक २७/०७/२०१३  
विनियमितीकरण/अनुमति-एव

यह विनियमितीकरण उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 को भारत 32 एवं धरा. 14, 15 के अन्तर्गत विनियमिता/प्रस्तावित निर्णय अनुकूल किया जा रहा है, लिन्तु यह न भवन सत्रात् विनियमिता के सम्बन्ध में जिस पर विनियमितीकरण/प्रस्तावित भवन भवन सत्रात् लीकृत किया जा रहा है, इससे जिसी प्रकार या जिसी स्थानीय निकाय या इकाय जो इसका उपनोय आदेती या व्यवेत्र उथवा फर्म के भालिलान/उधिकारों पर फिसी को बोहं असर फेहना अर्थात् उठवा अनुनाद फिसी के विलोपन या रखामेत्व के उधिकारों के विलोपन कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती जय श्री जयसवाल पली श्री कैलाश जायसवाल द्वारा घर्ट आफ फी होल्ड साईट नं० 31/5 सिविल स्टेशन, एम०जी०गार्ड इलाहाबाद जोन संचया (१) के अन्तर्गत विनियमितीकरण/प्रस्तावित। भवन निर्णय की अनुनाद हेतु दाखिल नवग मानचित्र के प्रस्तावित भाग नर निर्माण की अनुगति निर्मायित प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान विनियमिती जाती है।

1. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 को पर छए (१) के प्राविधि नो ८ अनुलेप पूर्णता प्राप्त होने के प्रबन्ध ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा। मध्यन निर्णय एवं विकास उपहारी 2008 मे सम्पादित संचया-२.१.८ एवं ३.१.८ मे निर्धारित विनियम पूर्ण कर यूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने आवश्यक है।
2. यह लीकृत अनुनिया (Provisional) रूपीय के रूप मे होगा। निर्णय पूर्ण होने के उपरान्त, जुनी अवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शहौ पूर्ण करने के प्रबन्ध नीति लिये जाने पाले 'पूर्णता प्राप्त-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस प्रियतर की वात्ता देक उपयोग मे लाश जा सकेगा।
3. स्थल पर AX3 फिट का एक बोहं लगाकर स्पोजूटी सम्बन्धी विवरण ठाकित करना होगा।
4. स्थल पर C3 आदेत वृक्ष लगाने देंगे।
5. मानचित्र में दर्शित असामनीय नाम जो भवा अपने हजो-लकड़े से लीकृत मानचित्र प्राप्त होने के १५ दिनों के अन्दर घस्ता फराना होगा तथा इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र का अक्षरसा इनुपालान बाध्यकारी होगा। अन्यथा इसे इनियोगा० द्वारा घस्त करकर इस पर होने वाला यथ नू-रासायन बकाये ली धनराशि बहुत कर लिया जाएगा।
6. स्थल के अधिभोग/उपयोग इ०प्र०प्रा० से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रत्यात् विद्या जावेगी।
7. स्थल जर समस्त जानवरिक विकास कार्य रखते हुए उक्त का संयोजन Existing सर्विसेस से करने जो जिमोदरी भू-स्तानी की होगी।
8. स्थल पर रेन वाटर इर्विंग का कार्य गानक के अनुसार पूर्ण करायर भू-पर्म जल बोहं से ग्राम-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. नानार्थ न्यायालय ए कोई वाद होने अवृद्ध उत्तम होने की रियति गे न्द्रलत लीकृत नाननार्थ न्यायालय के नियंत्र के अधीन होनी, रवानिव सम्बन्धी फिसी भी विदान पर नानवित रवाना निरस्त सनझा जायेगा।
10. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण रूपना हिसायी गयी है उथवा भला रूपना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 को धारा 15 (४) के अन्तर्गत नानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

Continued

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (नक्शा कैम्प)

पत्रांक :40 / प्र030—भवन / जोन—1 / शमन / 2013—14 दिनांक २७/०७/२०१३  
विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 एवं धारा 14, 15 के अन्तर्गत विनियमित/प्रस्तावित निर्माण अनुमत्य किया जा रहा है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर विनियमितीकरण/प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रशाव न रखेगी।

श्रीमती जय श्री जयसवाल पत्नी श्री कैलाश जायसवाल द्वारा पार्ट आफ फी होल्ड साईट नं0-31/5 सिविल स्टेशन, एम0जी0 मार्ग इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत विनियमितीकरण/प्रस्तावित भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निर्मांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:—

- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या—2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण—पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वार्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
- स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
- स्थल पर 03 अद्द वृक्ष लगाने होंगे।
- मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वतः अपने हर्जे—खर्चे से स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर ध्वस्त कराना होगा तथा इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा, अन्यथा इसे इ0वि�0प्रा0 द्वारा ध्वस्त कराकर इस पर होने वाला व्यय भू—राजस्व बकाये की धनराशि वसूल कर लिया जायेगा।
- स्थल का अधिभोग/उपयोग इ0वि�0प्रा0 से पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा।
- स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण करते हुए उक्त का संयोजन Existing सर्विसेस से करने की जिम्मेदारी भू—स्वामी की होगी।
- स्थल पर रेनवाटर हार्डस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू—गर्भ जल बोर्ड से प्रमाण—पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

Continued

